


4



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2013 जिला-दतिया

R 351- I/13

माजिद अली पुत्र श्री सादिक अली,
निवासी- मौहल्ला हजारी कस्बा भाण्डेर,
जिला-दतिया (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला-दतिया

..... अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर, जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/08-09
स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24.12.2012 के विरुद्ध
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,


1

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-351-एक/2013

जिला-दतिया

माजिद अली विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--------------------------------------|
| 22-04-2019 | <p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला-दतिया के प्रकरण क्रमांक 12/2009-10/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-12-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 मू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 06-06-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p align="right"> (आर0के0 जैन) सदस्य</p> | |